| दिनांक | आज्ञा-पत्र |
|---|---|
| 15/11/19 | पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप... पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पश्चात... किया। प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी का काउंटर क्लेम प्रा.पत्र स्वीकार कर उभयपक्षों को यानि अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजी खसरा नं. 169 रकबा 2.23 है. वाके ग्राम छोटी डूंगर तहसील धोद के मौका की स्थिति की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली कैफियत पूरा होकर बाद तरमीम तब्दील शामिल मूल वाद रहे। |
| | उपखण्ड अधिकारी धोद मु. |
| | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, मुख्यालय सीकर (राज.) |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र–250/2014

1. गोपालसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी खोरी डूँगर तहसील धोद जिला सीकर (मृतक)
1/1 भरतसिंह पुत्र गोपालसिंह
1/2 भगवानसिंह पुत्र गोपालसिंह
1/3 मनोहरसिंह पुत्र गोपालसिंह
1/4 राजकंवर बेवा गोपालसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण खोरी डूँगर तहसील धोद जिला सीकर
1/5 माड कंवर पुत्री स्व. गोपालसिंह पत्नी नाथूसिंह
1/6 शोभाग कंवर पुत्री स्व. गोपालसिंह पत्नी नरपतसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण खांगरा जिला जोधपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. झाबरसिंह पुत्र जालमसिंह
2. रसाल कंवर पत्नी दयालसिंह
3. बलबीर पुत्र दयाल सिंह
4. आनंद कंवर पुत्री दयालसिंह
5. गुमान कंवर पत्री दयालसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण खोरी डूँगर तहसील धोद जिला सीकर (राज0)

–अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
01. श्री बजरंग सिंह राजपूत, वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री लक्ष्मण सिंह, वकील अप्रार्थीगण की ओर से

**–:आदेश:–**

दिनांक– 15.11.2019

01. आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "ग्राम खोरी डूंगर पटवार क्षेत्र मण्डावरा तहसील धोद में भूमि ख. नं. 169 रकबा 2.2300 हैक्टेयर अवस्थित है, जिसमें 1/2 हिस्से के खातेदारी प्रार्थी के नाम व शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी दावे में अंकित प्रतिवादीगण संख्या–2 व 6 के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी व दावे में प्रतिवादी संख्या–2 ता 6 ने मौके पर सहमति से अलग–अलग बाहमी बंटवारा कर रखा है, जिसके मुताबिक उत्तर की तरफ की 1/2 हिस्सा की भूमि दावे में अंकित प्रतिवादीगण संख्या–2 ता 6 के हिस्से में है तथा दक्षिण में प्रार्थी के हिस्सा में आती है। प्रार्थी ने अपने हिस्से में बाड़ानुमा पुख्ता डण्डा निर्मित करके उसमें छान–छप्पर बना रखा है। अप्रार्थी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि से कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। परन्तु वह प्रार्थी की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

दक्षिणी–पूर्वी कोना में कच्ची डोल लगाकर अपने कब्जे में लेना चाहता है। इसलिये अप्रार्थी सं0–1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या–1 को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वह ग्राम खोरी डूंगर पटवार क्षेत्र मण्डावरा तहसील धोद में स्थित कृषि भूमि खं. नं 169 रकबा 2.2300 हैक्टेयर के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा करने कच्ची या पुख्ता डोल लगाने प्रार्थी के कब्जे, काश्त में दखलन्दाजी करने व हरे पेड़, लूंग, छड़ी आदि काटने से जरिये नौकर चाकर, परिजन, प्रतिनिधि आदि बाज रहें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मणसिंह उपस्थित होकर जवाब मय काउंटर पेश किया। अप्रार्थी सं.1 ने अपने जवाब मय काउंटर क्लेम मे उल्लेखित किया कि प्रार्थी को दावे में सफलता मिलने की कतई उम्मीद नही है व वादी का दावा आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 169 ग्राम खोरी डूँगर पटवार हल्का मन्डावरा तहसील सीकर में स्थित होना सही है व शेष ईबारत गलत है व अस्वीकार है। प्रार्थी/वादी विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार नही है, बल्कि 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व 1/6 हिस्से का अप्रार्थी संख्या–1 व 1/6 हिस्से का स्व0 दयालसिंह पुत्र कानसिंह खातेदार काश्तकार था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके हिस्से पर उसकी स्त्री रसालकंवर, पुत्र बलबीरसिंह बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है व शेष 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के 1/2 भाग की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 के पूर्वज कानसिंह पुत्र चांदसिंह की व शेष 1/2 भाग की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पूर्वज जीवनणसिंह के खाते, काश्त की भूमि रही है, जिस पर विरासत के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व स्व0 दयालसिंह के वारिसान बहैसियत खातेदार काबिज है। प्रार्थी/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 व स्व0 दयालसिंह पुत्र कानसिंह ने विवादित आरजी को अरसा करीब 40 वर्ष से बांट रखा है, जिसके अनुसार उत्तरी साईड की 1/2 भाग की भूमि अनावेदक/प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 के हिस्से में आई है व शेष दक्षिण साईड की 1/2 भाग की भूमि में से तीसरे हिस्से की अर्थात 1/6 भाग की पश्चिमी हिस्से की भूमि वादी के बंटवारे में आई है तथा पूर्वी हिस्से की 1/6 भाग की भूमि अप्रार्थी/जबावदाता/प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से व बंटवारे में आई है तथा मध्य की 1/6 भाग की भूमि स्व0 दयालसिंह के हिस्से व बंटवारे में आई हुयी है और इसी मुताबिक वर्तमान में भी कब्जा काश्त है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 विवादित आराजी के 1/6 भाग की भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है व अपने हिस्से की भूमि में छान, झूपा, बनाकर आबाद है व वही अपने मवेशी रखता है। प्रार्थी का न तो प्रथमदृष्टया मुकदमा सबल है व न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है, बल्कि प्रथम दृष्टया मुकदमा उत्तरदाता के पक्ष मे सबल है व सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है अगर प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी किस्म की अस्थायी निषेधज्ञा जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति उत्तरदाता/अप्रार्थी को होगी। विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 169 रकबा 2.23 हैक्टर तन ग्राम खोरी डूँगर के 1/2 भाग की भूमि प्रार्थी/वादी व अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व स्व0 दयालसिंह पुत्र कानसिंह की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि है, जिसकी खातेदारी अकेले प्रार्थी/वादी गोपालसिंह के हक में गलत है व शेष 1/2 भाग के प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

1/6 भाग का अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के 1/2 भाग की भूमि प्रार्थी/वादी अकेले के हक में अंकित होने से उसकी नियत मे फर्क आ जाता है और वह गलत खातेदारी के आधार पर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या–1 को उसके 1/6 भाग की भूमि से बेदखल करने पर व विवादित आराजी को विक्रय व रहन करने व रिकार्ड व मौके की स्थिति बदलने पर आमादा है, यदि वादी अपने इस कुउद्देश्य में कामयाब हो गया तो अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को असीम क्षति होगी। अतः प्रार्थी/वादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः अनावेदक संख्या 1 का काउन्टर आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थी ने काउंटर प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर टी.आई.प्रार्थना पत्र के समान तथ्य अंकित करते हुए काउंटर प्रा.पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षों ने अपने अपने कथन दोहरायें। बहस के अन्त मे विद्वान अभिभाषक पक्षकारान ने मौके व रिकार्ड की वाद निर्णय तक यथास्थिति कायम रखने पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले मे प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी ख.नं.169 ग्राम खोरी डूंगर के 1/2 हिस्सा भूमि अपनी होना व मौके पर कब्जा काश्त होना कथन करते हुए अप्रार्थी झबरसिंह के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थी झबरसिंह ने इसका जवाब मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थी का उक्त आराजी मे 1/6 हिस्सा होना कथन करते हुए प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। नकल जमाबंदी मे वर्तमान मे प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिस पर अप्रार्थी ने जवाब मे आपत्ति जाहिर की है। पक्षकारान ने साबिक रिकार्ड की नकलें भी प्रस्तुत की है। पत्रावली पर उपलब्ध आवेदन, प्रति आवेदन व प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रकट होता है कि पक्षकारान का मुख्य विवाद वादग्रस्त आराजी मे हक हिस्से का है जो मूल वाद मे साक्ष्य सबूत के आधार पर ही तय होगा। उभय पक्ष वाद निर्णय तक यथास्थिति कायम रखने पर सहमत है। चूंकि इस स्टेज पर आराजी का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है तो वाद बहुलता होगी तथा खातेदारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। अतः न्यायहित मे यही उचित है कि उभय पक्षकारान मूल वाद के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी का काउंटर क्लेम प्रा.पत्र स्वीकार कर उभय पक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजी खसरा नं. 169 रकबा 2.23 है. ग्राम खोरी डूंगर तहसील धोद के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.20 12:18:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: